

दिल्ली नगर विकास योजना पर प्रेस वार्ता

16 मार्च, 2007

सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनीवल मिशन के अंतर्गत दिल्ली नगर विकास योजना के निर्माण में नागरिकों को भाग लेने से सर्वथा वंचित कर दिया

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी
के-36, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली 110016
दूरभाष : 26537456 / 26521882 फैक्स : 26512347

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनीवल मिशन (JNNURM) क्या है?

JNNURM केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पहल है। इसके तहत सरकार 63 नगरों को नगर विकास के लिए फंड देगी। बदले में नगरों को राज्य एवं स्थानीय स्तर पर नगर सुधार के काम करने होंगे। मिशन सात साल की अवधि के लिए है और 2005-2006 से शुरू है। मिशन का कुल आवंटन 50,000 करोड़ रुपया है। यह राशि केंद्र सरकार के द्वारा सात साल में खर्च की जानी है। और इतनी ही राशि इस अवधि में राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा खर्च की जानी है।

फंड के लिए आवेदन करने वाले नगरों को निम्नांकित दस्तावेज केंद्र सरकार को देने होंगे :

1. नगर विकास योजना (CDP)
2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
3. मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट

नगर विकास योजना (CDP) क्या है? इसे कैसे बनाया जाना है?

JNNURM के टूलकिट II में नगर विकास योजना की भूमिका के बारे में बताया गया है :

(1) **वर्तमान हालात का गहराई से विश्लेषण, इसके अंतर्गत डेमोग्राफिक, आर्थिक, वित्तीय, संरचना, फिजिकल, पर्यावरणीय, एवं संस्थागत सभी पहलुओं को लिया जाएगा :** इस चरण का उद्देश्य नगर के विकास की अवस्था, प्रवृत्तियों एवं प्रक्रियाओं, साथ ही इसके संस्थागत एवं वित्तीय संदर्भ में इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं विश्लेषण करना है। इस चरण में नगर के विकास की विशेषताओं एवं खामियों की पहचान की जाएगी तथा यह समझने की कोशिश होगी कि वर्तमान स्थिति में सेवाओं की अदायगी एवं प्रबंधन के सामने कौन-कौन से बाधाएँ हैं तथा सेवाओं में सुधार के लिए किन बातों पर ध्यान देना होगा। इस चरण में शहर की उन अनूठी विशेषताओं को सामने लाने का एक अवसर होगा, जो इसे अन्य शहरों से अलग करता हो।

(2) **शहर की एक सोच एवं विजन का निर्माण :** विश्लेषण के प्रथम चरण के निष्कर्षों के साथ महत्वपूर्ण पक्षों एवं सामाजिक संस्थाओं से विचार-विमर्श के बाद इस चरण में भविष्य के लिए विकास की एक समग्र सोच का निर्माण किया जाएगा। यह सबकी सामूहिक सोच होगी कि कुछ सालों बाद यह शहर कहाँ पहुँचना चाहता है। यह भावी दिशा की एक सामूहिक सोच होगी,

जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न अपेक्षाओं एवं यहाँ तक कि “सबके लिए पानी की सुविधा” जैसे लक्ष्यों के रूप में भी हो सकती है।

(3) **शहर आज जहाँ है, से जहाँ वह पहुँचना चाहता है, तक की दूरी तय करने के लिए रणनीति तैयार करना** : इस चरण में सोच एवं भावी विकास के दृष्टि को मूर्तरूप देने के लिए रणनीति एवं पहल की पहचान की जाएगी। इस चरण का दो उपयोग होगा। पहला, विभिन्न विकल्पों एवं रणनीतियों की पहचान की जाएगी। दूसरा, JNNURM के विभिन्न लक्ष्यों में योगदान की दृष्टि से इन रणनीतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस चरण में चयित रणनीतियों को कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में तब्दील किया जाएगा। यही वह फेज है, जहाँ नगर को यह निर्णय करना है कि कौन से कार्यक्रम विजन की दिशा में बढ़ने एवं शहर को सोचे हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान करते हैं। इसी चरण में रणनीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान करने के लिए, समुचित विचार-विमर्श के बाद, मापदंड भी तय किये जाएंगे।

(4) **नगर निवेश योजना (CIP) एवं वित्तीय रणनीति का निर्माण** : निवेश योजना एवं वित्त व्यवस्था की रणनीति CDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक सकल निवेश योजना है, जो बताता है, उदाहरण के तौर पर, 10/7 जल आपूर्ति के वर्तमान स्तर से 24/7 जल आपूर्ति करने में आने वाला खर्च; यह किसी जल संयंत्र की क्षमता को 1,00,000 mld से बढ़ाकर 1,50,000 mld करने की किसी परियोजना का वित्तीय आँकलन नहीं है। इस चरण की खास बात वह योजना है, जो विजन एवं तत्संबंधी रणनीति तथा कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था हेतु वैकल्पिक स्रोत की तलाश करती है।

दिशानिर्देश में यह स्पष्ट बताया गया है कि :

1. CDP के निर्माण में महत्वपूर्ण पक्षों एवं सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श किये जाने चाहिए।
2. CDP में शहर वासियों की सम्मिलित एवं सामूहिक सोच परिलक्षित होनी चाहिए।

दिल्ली शहर विकास योजना (CDP) कैसे तैयार की गयी थी?

दिल्ली CDP 18 लाख रुपये के शुल्क के साथ IL & FS Ecosmart द्वारा तैयार की गयी थी। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा सूचनाधिकार आवेदन के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर, CDP का मसौदा तैयार किये जाने से पूर्व ही दिल्ली सरकार ने सामाजिक संस्थाओं से सिर्फ एक बार शहर के बारे में उनके विचार लिए थे। IL & FS Ecosmart ने CDP तैयार की एवं इसे सरकार को सौंप दिया। दिल्ली सरकार ने बगैर एक भी नागरिक अथवा सामाजिक संस्था को दिखाए इस CDP को केंद्र के पास स्वीकृति के लिए जमा कर दिया। यह बात भी समझ से परे है कि CDP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बनायी गयी थी तथा यह कि दिल्ली के लिए मुख्य शहरी स्थानीय निकाय अर्थात् MCD की इस CDP के निर्माण और/अथवा विचार विमर्श में कोई भागीदारी नहीं थी। JNNURM की सोच के मुताबिक शहरी स्थानीय निकाय ही शहर के उन लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, जिनके द्वारा वस्तुतः CDP का निर्माण किया जाना है। और इससे बड़ी विडंबना तो यह है कि दिल्ली सरकार ने इस CDP को सार्वजनिक किये जाने से ही इनकार कर दिया (संबंधित सूचनाधिकार आवेदन का जवाब संलग्न है)।

CDP यह दावा करता है कि कुल 66 लोगों ने दिल्ली नगर क्षेत्र के एक करोड़ चालीस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व प्राथमिक स्टेकहोल्डर्स के रूप में किया! इसका अर्थ हुआ लगभग 2 लाख दिल्ली वासियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक आदमी!

इससे निम्नलिखित प्रश्न खड़े होते हैं :

1. किस प्रकार ये 66 लोग दिल्ली के सभी प्राथमिक स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी थे?
2. बातचीत की उपर्युक्त प्रक्रिया CDP बन जाने के बाद क्यों नहीं दुहरायी गयी?
3. सूचनाधिकार आवेदन के जवाब में स्टेकहोल्डरों की दो कार्यशालाओं के अलावा अन्य किसी भी बातचीत का जिक्र क्यों नहीं है?

अन्य शहरों में JNNURM के तहत CDP का निर्माण किस प्रकार किया गया है?

1. वडोदरा में छः समूहों के साथ वार्ता की गयी थी। इन समूहों में सैंपल के तौर पर 5000 लोगों को शामिल किया गया था, जो समाज के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे (गैरसरकारी संगठन, उद्योगपति, भवन निर्माता, शहरी गरीब, आदि)। CDP ने एक गैरसरकारी संगठन (सेवा) द्वारा किये गये एक अध्ययन से मिली प्रतिक्रियाओं को भी स्वीकार किया। इस अध्ययन में विजन में तय की गयी प्राथमिकताओं के संदर्भ में शहरी गरीबों के मत एवं विचारों की छानबीन की गयी थी। वडोदरा में स्टेकहोल्डरों के साथ की गयी बातचीत में पूरे शहर के सभी भू-भागों से निष्पक्ष ढंग से लोगों को चुना गया था – वडोदरा के सभी जोनों एवं वार्डों से 1825 नमूने इकट्ठे किये गये थे। वडोदरा ने थोड़ी सृजनात्मकता का भी परिचय दिया। सप्ताह भर चलने वाला “वडोदरा मेला” आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों के लिए आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता का विषय था – “मेरे सपनों का शहर वडोदरा”।
2. हैदराबाद। CDP से पहले से ही यहाँ एक CDS मौजूद था। CDS के निर्माण के दौरान, सितंबर 2001 एवं दिसंबर 2003 के बीच, विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ 6 वार्ताएँ की गयी थीं। और ये सभी वार्ताएँ पूरी अवधि में समान कालखंडों विभाजित थीं। इस स्थिति के बावजूद, CDP को भी इसका मसौदा बनने के बाद पुनः स्टेकहोल्डरों के सामने रखा गया।
3. सूरत। यहाँ स्टेकहोल्डरों में अधिकारीगण, वाणिज्यिक संस्थाएँ, टेक्नोक्रेट्स, प्रबुद्ध नागरिकों, पार्षदों एवं गैरसरकारी संगठनों को शामिल किया गया था। सूरत नगर निगम ने प्रश्नावलियों की 30,000 प्रतियाँ ज्ञात स्टेकहोल्डरों को वितरित कीं। 13 प्रतिशत भरी हुई प्रश्नावलियाँ जवाब में प्राप्त हुईं और इसका विश्लेषण किया गया।
4. विजयवाड़ा। वार्ताओं के लिए दस कार्यसमूह बनाए गये। आसपास की नगरपालिकाओं के लिए अलग वार्ता-प्रक्रिया चलायी गयी।

स्रोत : डे, पारामिता एवं श्रीकांत गुप्ता। समुदायोन्मुख नगर विकास योजनाएँ। एन आइ यू ए वर्किंग पेपर 06-02। नवंबर 2006।

शीघ्र आवश्यक सुधार कार्य

1. CDP को वापस लेकर सार्वजनिक किया जाए, ताकि इसपर सार्वजनिक बहस हो सके
2. लोगों के सुझावों को शामिल किया जाए
3. पुनर्निर्मित CDP को भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाए

अन्य सूचनाओं के लिए कृपया संपर्क करें : मकरंद बैकोडे, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, दूरभाष : 9312444725, 26537456 / 26521882, ईमेल : makarand@ccs.in

<http://www.ccs.in/jnnurm.asp> पर और भी सूचनाएँ उपलब्ध हैं।